

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1086

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों का उत्पादन और वितरण

1086. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयुष औषधियों के गुणात्मक उत्पादन और वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ख) आयुष औषधियों में व्यापक और गहन अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधियों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए निम्नलिखित उपायों को कार्यान्वित किया है:

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों कि बिक्री अथवा वितरण हेतु विनिर्माण संबंधी विशेष नियामक प्रावधान हैं।
2. औषधि नियम, 1945 के नियम 160 क से ज में आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारी की ओर से आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और शक्ति के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनुमोदन हेतु विनियामक दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं, जो इन नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक हैं।
3. आयुष मंत्रालय की ओर से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के लिए फार्मूलेरी विनिर्देश और फार्माकोपियल मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत नियम, 1945 के अनुसार, आयुष औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और क्षमता) का पता लगाने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में कार्य करते हैं। भारत में विनिर्मित एएसयूएंडएच औषधियों के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।
4. आयुष मंत्रालय की केंद्रीय योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के फार्माकोविजिलेंस केंद्र को संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी और रिपोर्ट करने का अधिदेश प्राप्त है।
5. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को वर्ष 2021 से 2026 तक कार्यान्वित किया गया है। इस योजना का एक घटक उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण और उन्नयन से संबंधित है।

6. आयुष औषधियों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष वर्टिकल सृजित किया गया। इसके अलावा, सीडीएससीओ ऐसे मानकों का अनुपालन करने वाली आयुष औषधियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करता है।

(ख): आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात् आयुर्ज्ञान योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 03 घटक हैं, नामतः (i) आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) (ii) आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार और (iii) आयुर्वेद जैविकी एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान जिसे वर्ष 2023-24 से जोड़ा गया। आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार घटक के तहत, बाह्य परिसर पद्धति में नैदानिक, मौलिक, भेषज, साहित्यिक और औषधीय पादप अनुसंधान हेतु सहायता प्रदान करने के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधान के अनुसार देश भर में पात्र संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने वैज्ञानिक तर्ज पर आयुष पद्धति में अनुसंधान करने, उसके समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन के लिए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष संगठनों के रूप में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) की स्थापना की है। प्रमुख अनुसंधान गतिविधियों में, औषधीय पादप अनुसंधान (मेडिको-एथनो बॉटनिकल सर्वे), फार्माकोग्नोसी और इनविट्रो-प्रोपेगेशन तकनीक, औषधि मानकीकरण, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं प्रलेखन और जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं।
